



सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड

Cent Bank Home Finance Limited

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India

अत्यंत महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

ऋण (विशेष ऋण उत्पादों के नाम):

(उधारकर्ता) और सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड के बीच सहमति, आवास/गैर-आवास ऋण के प्रमुख नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ऋण (अनुमोदित राशि (शब्दों में)):-

2. ब्याज:

i) प्रकार (सावधि / फ्लोटिंग/ फिक्स्ड-ओ-फ्लोटिंग)	फिक्स्ड-ओ-फ्लोटिंग (ब्याज दर पहले संवितरण की तारीख से पहले 3 वर्षों के लिए तय की जाएगी और उसके बाद ब्याज दर प्रचलित आधार दर पर समान प्रसार के साथ फ्लोटिंग होगी)
ii) ब्याज प्रभार्य	=> पहले 3 वर्ष: निश्चित @ % (..... % + %) => 3 वर्ष के बाद: फ्लोटिंग @ आधार दर % + % रिसेट के समय लागू बीआर.
iii) अधिस्थगन अथवा सब्सिडी (राशि अंतरण को छोड़कर ऋण दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख से अधिकतम 36 महीने; अधिस्थगन अवधि के दौरान केवल ब्याज वसूल किया जाएगा)	अधिस्थगन अवधि ----- महिने (अधिस्थगन अवधि के दौरान केवल ब्याज वसूल किया जाएगा)
iv) ब्याज पुनर्निर्धारण की तारीख	तिमाही (अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी)
v) ब्याज दर, ईएमआई में परिवर्तन की सूचना हेतु संप्रेषण के माध्यम	ब्याज दर, ईएमआई आदि में परिवर्तन की सूचना निम्न लिखित में किसी एक या दो माध्यमों से सूचित की जाएगी: => सीबीएचएफएल वेबसाइट (www.cbhfl.com) पर प्रकाशन => एसएमएस => ई-मेल => पत्र

3. किस्त का प्रकार:

प्रारंभिक..... महीनोंकेलिएईएमआईरें/-
 और अंतिम महीनों के केलिएईएमआईरें/-.

ब्याजदर, पूर्वभुगतानआदिमेंपरिवर्तनकेकारणईएमआईमेंबदलावहोसकताहै.

4. ऋण की अवधि:

..... महीने (ऋणस्थगन-..... महीनेऔरकिस्तभुगतान..... महीने)

ब्याजदर, पूर्वभुगतानआदिमेंपरिवर्तनकेकारणईएमआईमेंबदलावहोसकताहै..

5. ऋणकाउद्देश्यघरखरीद/पुनर्विक्रयखरीद, व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षाआदि).....

6. फीस एवं अन्य प्रभार:

<p>i) आवेदनऔरस्वीकृतिकेबाद</p>	<p>=>लॉग इन शुल्क (अप्रतिदेय): ₹.5,000/- + जीएसटी =>संपत्तिनिरीक्षणप्रभार: Rs.1000 + जीएसटीजैसा लागू हो(संपत्तिकाप्रतिनिरीक्षण, ऋणकेकिस्तसंवितरणमेंदूसरेनिरीक्षणसे) =>संपत्ति बीमांक प्रभार : वास्तविक प्रभार =>स्वीकृतिपुनर्वेधीकरणप्रभार: ₹.1000/- +जीएसटी, साथहीकानूनीएवंतकनीकीप्रभारन्यूनतमरु .5000/- + लागूजीएसटी</p>
<p>ii) ऋण अवधि के दौरान</p>	<p>=>ऋण पर ब्याज : पिछलेमहीनेकेअंतिमदिन तकबकाया(अंतिम) शेषपरलागूदरपरप्रभारित =>प्रसंस्करणशुल्क: स्वीकृतिशर्तोंकेअनुसार =>खातेकाविवरण: ₹.200/- +जीएसटी =>प्री-क्लोजरस्टेटमेंट/पत्र: ₹.500/- +जीएसटी =>दस्तावेजोंकीसूची: ₹.500/- +जीएसटी =>हकविलेखकीफोटोकॉपी: ₹.1,000/- +जीएसटी =>नकद रखरखाव प्रभार (नकदमेंकियागयाभुगतान): ₹.300/- +जीएसटी =>वसूलीशुल्क: प्रतिविजिटन्यूनतमरु .500/- केअधीनकिएगएवास्तविकव्यय =>शुल्कसहितकानूनी/सरफेसीव्यय: कियागयावास्तविकव्यय =>मूलफाइलिंग/बादमेंपरिवर्तनहेतुसरसाईप्रभार: ₹ 5 लाख से कम ऋण राशि हेतु. # ₹.50/- + जीएसटी ₹ 5 लाख या उससे अधिक ऋण राशि हेतु# ₹.100/- +जीएसटी</p>

	<p>=>चेक/एनएसीएचरिटर्न(अस्वीकृत)प्रभार: # प्रथमवापसी: ₹.500/- +जीएसटी # द्वितीय एवं वापसीद्वितीय उससे अधिक वार वापसी: ₹.750/- +जीएसटी =>भुगतान केमाध्यम में परिवर्तन:पीडीसी से पीडीसी और एनएसीएच से एनएसीएच के मामले में ₹.500/- +जीएसटी ⇒ ईएमआईरीसेटप्रभार: ₹.1000/- + जीएसटी जैसा लागू हों.</p>
iii) मोचनरोध (फोरक्लोजर) पर	<p>=>नियतआरओआईकेसाथआवासऋण: बकाया (अंतिम शेष +जीएसटीपर3% यदिस्वयंकेस्रोतोंसेभुगताननहींकियागयाहै) नोटए =>नियतआरओआईकेसाथगैर-आवासीयऋण: ऋण शेष +जीएसटीपर3% (नोट ए: स्वयंकेस्रोतोंकाअर्थहैबैंक/एचएफसी/एफआईकेअलावाअन्यस्रोतोंकेमाध्यमसेजुटायागयाधन. सीबीएचएएलकेपासधनकीसोर्सिंगकेसबूतदस्तावेजोंकोमांगनेकाअधिकारसुरक्षितहै) =>दस्तावेजपुनर्प्राप्तिप्रभार: ₹.2,500/- +जीएसटी =>प्रभारकासमाधान/निरस्तीकरण: ₹.500/- +जीएसटी</p>
iv) शुल्कवापसीयदिऋणस्वीकृत/वितरितनहींकियाग याहैतो	<p>=>लॉग इन शुल्क: किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं =>प्रसंस्करणशुल्कसहितअन्यशुल्कऔरप्रभार: कंपनीकेपासपरिस्थितियोंकेआधारपरमामलों दर मामलों के आधारपरनिर्णयलेनेकाअधिकारसुरक्षितहै.</p>
v) संपरिवर्तन प्रभार (फिक्सड से फ्लोटिंग/फ्लोटिंग से फिक्सड/फिक्सडसे फिक्सड/फ्लोटिंगसेफ्लोटिंग)	<p>बकाया (अंतिम) शेष + जीएसटीपर2%</p>
vi) विलंबितभुगतानकेलिएदंड	<p>=>विलंबसेभुगतान हेतुदंड: विलंबकेदिनोंकीसंख्याकेलिएअतिदेयराशिपर2% प्रतिमाह.गणनाकेउद्देश्यहेतुएकमहीनेको30 दिनोंकेरूपमेंमानाजाताहै.</p>
vii) अन्य दंड	<p>=>यदिनिर्माण12 महीनेकेभीतरशुरूनहींहुआहैयानिर्माणएवं/अथवाप्रथमसंवितरणसे36 महीनेकेभीतरपूरानहींहुआहैतोवाणिज्यिकब्याजदर(संभावित)लीजाएगी. =>सामान्यब्याजदरपर2% काअतिरिक्तब्याजनिर्धारितसमयकीसमाप्तिसेनिम्नलिखितमामलोंमेंमानदंडोंकेअनुपालनतकलि याजाएगा: # संपत्तिबीमाअंतिमसंवितरणयासंपत्तिकेनिर्माणकेपूराहोनेकीतारीखसे1 महीनेकेभीतरप्रस्तुतनहींकियागयाहो. # संपत्तिकापंजीकरण/ग्रहणाधिकारजहांभीलागूहो, बिक्रीविलेखकेनिष्पादनसे1 महीनेकेभीतरनहींकियागयाहो. # ऋणभारप्रमाणपत्र(ईसी)आदिजहांभीलागूहो, बिक्रीविलेखकेनिष्पादनसे1 महीनेकेभीतरप्रस्तुतनहींकियागयाहो. # बी-1/पी -II प्रस्तुतनहींकियागयाहो, जहांभीलागूहो, बिक्रीविलेखकेनिष्पादनसे2 महीनेकेभीतरप्रस्तुतनहींकियागयाहो. (कंपनीकेपाससमयसीमाएवं/अथवाप्रभारबदलनेकाअधिकारसुरक्षितहै. कंपनीमानदंडोंकाअनुपालनसुनिश्चितकरनेहेतुकिएगएखर्चकेलिएऋणखाताकोभीप्रभारितकरसक</p>

सेन्टबैंकहोमफाइनेंसलिमिटेड (एमआईटीसी)

	तीहै)
--	-------

viii) जमाका परिपक्वता पूर्वबंदकरना	सावधिजमाफॉर्ममें उल्लिखितजमाकी पूर्व-परिपक्वनिकासीके लिएलागूदंडकेअलावाब्रोकर सेअतिरिक्तब्रोकरेजकाभुगतान (जमा की वास्तविक अवधि हेतु ब्रोकरेज में से कुल भुगतानकियागयाब्रोकरेज घटाकर)वसूलकियाजाएगा.
नोट: समय - समय पर लागू दर के आधार पर जीएसटी लागू होगा.	

7. ऋणहेतु प्रतिभूति/संपाशिवक:

i) (बंधक ऋण हेतु प्रतिभूतिकेरूपमें गिरवीरखीजानेवाली संपत्तिकेविवरण का उल्लेख करें).	
ii) (गारंटी गारंटरोंकेनामका उल्लेख करें)	
iii) (अन्य प्रतिभूति/ अन्य प्रतिभूतियों के विवरण का उल्लेख करें)	

8. संपत्तियों/उधारकर्ताओंका बीमा:

<p>ए) संपत्ति बीमा : 'संपत्तिबीमा' अनिवार्यहै. "संपत्तिजिसकेविरुद्धसीबीएचएफएलद्वारा दियागया ऋण काबीमाउधारकर्ताद्वाराउसकीपसंदकीबीमाकंपनीसेऋणकीपूरीअवधिके लिए "बैंककेक्लॉज "केअनुसारबाद, आगएवंप्राकृतिकआपदाओंहेतुबीमाउसकेअपनेखर्चपरकियाजानाचाहिए". संपत्तिबीमाशुरुमें10 सालकेलिएप्राप्तकियाजासकताहै, यदिऋणकीअवधि10 सालसेअधिकहैतोउधारकर्ताकोबीमाकंपनीकेसाथदावेकानिपटानकरनेकीआवश्यकताहोगी, यदि स्थिति उसके अपने स्वयं के / द्वारा उत्पन्न की गई है.सीबीएचएफएलकेपासदावेकेस्वीकृति / निपटानकेलिएउत्तरदायीनहींहै.</p>
<p>बी) जीवन बीमा: 'जीवनबीमा' वैकल्पिकहै. उधारकर्ताअपनीपसंदकीबीमाकंपनीसे'जीवनबीमा' पॉलिसीलेसकताहै.इसेकिसी भी परिस्थिति मेंभीजीवन बीमा हेतुसीबीएचएफएलद्वारायाचनाकेरूपमेंनहींमानाजानाजाए.</p>
<p>सी) उधारकर्ताकोअंतिमसंवितरणयासंपत्तिकेनिर्माणकेपूराहोनेकीतारीखसे1 महीनेकेभीतरसंपत्तिबीमाप्रस्तुतकरना है, जिसमेंविफलहोनेपरसंपत्तिबीमाजमाकरनेतकऋणखातेपरलागूसामान्यब्याजपर2% कीदरसेअतिरिक्तब्याजलगायाजाएगा.</p>

9. ऋणसंवितरणकी शर्तें:

ऋणसंवितरणकी शर्तें, स्वीकृतिपत्र और/या ऋणसमझौतेमें उल्लिखित नियम और शर्तें हैं-

10. ऋणएवंब्याजकीचुकोती:

ए) ऋणकीकुलअवधि(अधिस्थगनअवधि + किस्तभुगतानअवधि)महिने(अधिस्थगनमहिने+ किस्तभुगतानअवधि महिने)
बी) अधिस्थगनअवधि(ऋणदस्तावेजोंकेनिष्पादनकीतारीख सेअधिकतम36 महीने). महिने
सी)किस्तभुगतानअवधि(किस्तोंकीकुलसंख्या) महिने (ब्याजदर, पूर्वभुगतानआदिमेंपरिवर्तनकेकारणअवधि मेंबदलाव होसकतहै.)
डी) ईएमआई कीदेयतिथि	प्रत्येक महिने की 10 तारीख..
ई) ईएमआई कीप्रारंभतिथि
एफ) ईएमआई कीसमाप्तितिथि
जी) ईएमआई कीराशि	प्रारंभिक महिने के लिए ₹...../-एवं अंतिम महिनों के लिए (ब्याजदर, पूर्वभुगतानआदिमेंपरिवर्तनकेकारणईएमआईबदलसकतीहै.)
एच) थोकभुगतानऔरअतिरिक्तभुगतान (आंशिकभुगतान)	₹...../- थोक भुगतान को देय है. अतिरिक्तभुगतान) आंशिकभुगतान(,अनुसूचितभुगतान)ईएमआईभुगतानऔरथोकभुगतान (केअलावाकियाजासकताजिसमेंराशिकेअतिदेयकेसमायोजनकेबादबकायामूलधनकेलिए राशिआवंटितकीजाएगी, यदिकोईहो अतिरिक्तभुगतानकेमामलेमेंऋणकीअवधिकमहोजाएगी.
आई) ब्याजदर/ईएमआईमेंपरिवर्तनकी सूचना हेतु संप्रेषण कामाध्यम	ब्याजदर/ईएमआईमेंपरिवर्तनकीसूचना निम्न सम्प्रेषण के माध्यमों में से कोई एक या एक से अधिक माध्यमों द्वारा किया जा सकता है. =>सीबीएचएफएलवेबसाइट (www.cbhfi.com)परप्रकाशन =>एसएमएस =>ई-मेल =>पत्र
जे) ब्याज का भुगतान	अधिस्थगनअवधिकेदौरानब्याज, जिसेप्री-ईएमआईकहाजाताहै, अगलेमहीनेकी10 तारीखकोयाउससेपहलेदेयहै. पहलीप्री-ईएमआई.....को देयहै. ऋणपरब्याजपिछलेमहीनेकेअंतिमदिन काबकाया) अंतिम (शेषपरलगायाजाताहै.(ब्याजकोमासिकरूपसेचक्रवृद्धिकियाजाएगा)

के) अन्य बिंदू	<p>=>किसीभीकारणसेब्याजदर) आरओआई (मेंकमीकेमामलेमें, ईएमआईकोनहींबदलाजाएगा; 'ऋणअवधि' कमहोजाएगी.</p> <p>=>ब्याजदर) आरओआई (मेंवृद्धिकेमामलेमें, ईएमआईकोतबतकनहींबदलाजाएगाजबतककिनकारात्मकपरिशोधन)ईएमआईप्रभारितब्याजसेकमनहो .(ऋणकीअवधिकेअंतमेंबकायाराशिकाभुगतानएकमुश्तकरनाहोगा. उधारकर्ताऋणअवधिकेअंतमेंऋणकेसंचयसेबचनेकेलिएस्वेच्छासेनियमितचुकोती मेंवृद्धिकरसकताहै.</p>
----------------	---

11. अतिदेयकीवसूलीहेतु अपनाईजाने वाली संक्षिप्त प्रक्रिया:

कंपनी) सीबीएचएफएल (उधारकर्ताऔर/यागारंटरऔर/यानियोक्ताकोएसएमएस, फोनकॉल, पत्र, निवासऔर/याकार्यालयमेंव्यक्तिगतरूपसेअतिदेयराशिकेबारेमेंसूचितकरसकतीहै.कंपनीवापसीएजेंटकोअतिदेयमामलोंकोआवंटितकरसकतीहैऔर/यासरफेसीअधिनियमकेतहतउनलोगोंपरकानूनीकार्रवाईकर सकतीहै. कंपनीकेपासकिसीभीसमयकोई भी कार्रवाईशुरूकरनेकाअधिकारसुरक्षितहै.

12. तारीख जिस दिन वार्षिकबकायाशेषविवरणजारीकियाजाएगा:

उधारकर्ताद्वारामांगेजानेपरखातेकाविवरणकैलेंडरवर्षमेंएकबारनिःशुल्कजारीकियाजाएगा

13. ग्राहक सेवा:

i) कार्यालयमेंआनेकासमय	सभीकार्यदिवसमेंकाम के घंटे
ii) ग्राहकसेवाकेलिएसंपर्ककिएजानेवालेव्यक्तिकाविवरण	<p>=>शाखा: ग्राहकसेवा / शाखा प्रबंधक</p> <p>=>ई-मेल: customercare@cbhfl.com</p> <p>=>टोल फ्री नंबर.: 1800 8896 606</p> <p>=>वेबसाइट: www.cbhfl.com (हमसे संपर्क करें)</p> <p>=>हमें लिखें : ग्राहक सेवा कक्ष, सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, एमएमओ, 6 वीं मंजिल, एमजी रोड, फ्लोरा फाउंटेन, हुतात्मा चौक, मुंबई-400023</p>
iii) प्राप्त करने और समय सीमा) टीएटी (की प्रक्रिया	<p>=>ऋण खाता विवरण : प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक विवरण निःशुल्क है. उसी कैलेंडर वर्ष में एक विवरण के बाद विवरण प्राप्त करने हेतु ₹ 200/- + जीएसटी.</p> <p>टीएटी - 3 कार्यदिवस</p> <p>=>हकदस्तावेजों की फोटोकॉपी: ₹.1,000/- + जीएसटी</p> <p>टीएटी - 14 कार्यदिवस</p> <p>=>ऋण खाता के बंद/हस्तांतरण पर मूल दस्तावेजों की वापसी: 'दस्तावेज पुनर्प्राप्ति प्रभार' के रूप में ₹. 2,500/- + जीएसटी</p>

	टीएटी - 14 कार्यदिवस
--	----------------------

14. शिकायत निवारण:

यदि आपसेवासे असंतुष्ट हैं एवं शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, आप निम्नानुसार अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं:

लेवल 1	शाखा प्रबंधक	प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक (साप्ताहिक समापन दिवस और अवकाश को छोड़कर)
लेवल 2	शिकायत निवारण कक्ष	शिकायत निवारण कक्ष सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, एमएमओ, 6 वीं मंजिल, एमजी रोड, फ्लोराफाउंटेन, हुतात्मा चौक, मुंबई- 400023
	प्रभारी अधिकारी – ग्राहक सेवा	grievanceredressal@cbhil.com
लेवल 3	केंद्रीय नोडल अधिकारी	केंद्रीय नोडल अधिकारी सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, एमएमओ, 6 वीं मंजिल, एमजी रोड, फ्लोराफाउंटेन, हुतात्मा चौक, मुंबई- 400023

यदि 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है या सीबीएचएफएल से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या सीबीएचएफएल से प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हैं, तो आप एनएचबी की वेबसाइट पर ऑनलाइन या डाक के माध्यम से एनएचबी, नई दिल्ली में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
विनियमन और पर्यवेक्षण विभाग
(शिकायत निवारण सेल)
4 वीं मंजिल, कोर -5 ए, इंडिया हैबिटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
वेबसाइट: grids.nhbonline.org.in

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड) सीबीएचएफएल (भारत सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों) सीआईसी (को ऋण विवरण और किसी भी अन्य संबंधित जानकारी का खुलासा उधारकर्ता)/ओं (की सहमति के बिना करने के लिए अधिकृत है, जिसमें खाता एग्रीगेटर भी शामिल है. सीबीएचएफएल क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ पूछताछ करने और उधारकर्ता)/ओं (की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत है.

एतद्वारा यह सहमति दी जाती है कि ऋण के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,

पार्टियां ऋण और उन के द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले अन्य सुरक्षा दस्तावेजों का उल्लेख करेंगे और उन पर विश्वास करेंगे.

उपरोक्त नियम और शर्तें उधारकर्ता..... द्वारा पढ़ी गई हैं एवं कंपनी और उधारकर्ताओं द्वारा समझा गया है/.

(उधारकर्ता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान)

(ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी का हस्ताक्षर)

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (एमआईटीसी)